



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7712/2026

श्रीमती नन्दा देवी

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राम अवध मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 405 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85, 115(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद झांसी में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदिका मृतका की सास है। मृतका के पति शुभम दुबे को पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह जेल में निरुद्ध है। आवेदिका तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं। आवेदिका के पुत्र और मृतका के मध्य विवाह दिनांक 27.2.2020 को संपन्न हुआ था। उक्त दांपत्य संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतका ने अपने पति के साथ विवाद के कारण विष का सेवन कर लिया था। मृतका के परिवार के सदस्यों ने पंचायतनामा की कार्यवाही में भाग लिया था और पंचायतनामा तैयार किए जाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय तहसीलदार तथा पुलिस के समक्ष कोई शिकायत नहीं की गई थी। पुलिस को सूचना श्रीमती कोमल पाण्डेय द्वारा दी गई थी, जो वर्तमान सूचनाकर्ता रोहित पाण्डेय की पत्नी हैं और उनकी शिकायत में केवल यह कहा गया था कि उनकी ननद/मृतका ने विष का सेवन कर लिया है और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 11.12.2025 की शिकायत में उनके द्वारा आवेदिका अथवा मृतका के पति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया था। विसरा रिपोर्ट के अनुसार विष पाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 10.12.2025 को घटित हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 दिन पश्चात दिनांक 25.12.2025 को दर्ज कराई गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में सूचनाकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगी। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया।

5- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, इस संभावना कि वह विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, न्याय से फरार होने की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय तत्वों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

7- **सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदिका की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनता है।

9- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदिका-**श्रीमती नंदा देवी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाए कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदिका विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजन से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii)- आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो; और

(iv)- आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

10- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदिका को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला